राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

1.एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 6537/06
रमेश चन्द्र पुत्र गोरधन बनाम राजस्थान राज्य

2.एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 6133/06
रमेश चन्द्र पुत्र हीरा लाल बनाम राजस्थान राज्य

--

01.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एन ए नकवी, अधिवक्ता- अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से
श्री एम एल गोयल, विद्वान लोक अभियोजक

--

उपरोक्त दोनो अग्रिम अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र धारा 438 जाप्ता फौजदारी में एक ही प्रथम सूचना संख्या- 155/2006 पुलिस थाना-मांगरोल,जिला-बारां अपराध अन्तर्गत धारा 467,468,471 व 120- बी भारतीय दण्ड संहिता के सदंर्भ में अभियुक्त- प्रार्थी रमेश चन्द्र पुत्र गोरधन व रमेश चन्द्र पुत्र हीरा लाल की ओर से प्रस्तुत गये हैं, इसलिए इनकी एक साथ सुनवाई की जाकर मौजूद एक ही आदेश से इनका निस्तारण किया जा रहा है।

अभियुक्त- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा केस डायरी व दौरान बहस प्रस्तुत अन्य प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त- प्रार्थीगण सन् 2004 में ग्राम पंचायत बमोरी कलां के सरपंच व सेकेट्री थे तथा पट्टा आवंटन के प्रार्थना पत्र पर ग्राम सभा का जनरल नोटिस निकालकर कोरम के समक्ष यह मामला रखा गया जिसमें कुछ व्यक्तियों को उनके कब्जे शुदा भूमि पर पट्टे जारी करने का निर्णय दिनांक 16.2.2004 को लिया गया जिनमें सरपंच-अभियुक्त प्रार्थी रमेश, उप सरपंच,पंच, प्रधान, विकास अधिकारी पंचायत समिति-अंता, हल्का पटवारी व पंचायत समिति के सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्हीं के अनुसार नियमानुसार राशि पंचायत में जमा करवाके पट्टे जारी किये गये, जिसमें कोई विधि विरूद्धता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि परिवादी को यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष इस

सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद दायर किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत व परिवादी भी पक्षकार था, जिसका फैसला पंचायत के पक्ष में हुआ है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि विवादित भूमि को पंचायत को आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं था।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है। किन्तु उभ पक्ष के तर्कों एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ग्राम पंचायत बमोरी कलां की ग्राम सभा में दिनांक 16.2.2004 को लिये गये प्रस्ताव व अन्य सामग्री को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थीगण को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थीगण 1. रमेश चन्द्र पुत्र गोरधन निवासी- बमोरी कलां 2. रमेश चन्द्र पुत्र हीरा लाल निवासी मऊ थाना- मांगरोल जिला- बारां को पुलिस थाना- मांगरोल, जिला- बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 155/2006 में गिरफ्तार किया जावे तो उन्हें अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रत्येक प्रार्थी द्वारा रूपये 10**,000/- -10,000/- (दस-दस** हजार रूपये मात्र) के स्वयं के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये 5**,000/- 5,000/- (पांच-पांच** हजार रूपये मात्र) की दो- दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे।
2. यह कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।
3. यह कि प्रार्थीगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
4. यह कि प्रार्थीगण भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं रहेंगे।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)